

राशन कार्ड आवेदन/जाँच पत्र

मुखिया का नाम
 पुत्र/पत्नी
 भवकांन अड
 जिला
 स्थानीय निवास की अवधि.....

1. बिजली (कोड) [] काउण्टर रजिस्टर क्रमांक
 (नहीं है तो 0, है तो 1 भरे) मास्टर रजिस्टर का क्रमांक
 2. गैस कनेक्शन (कोड) []
 (नहीं है तो 0, ए.जी.सी. है तो 1, डी.जी.सी. है तो 02 भरे)

परिवार का विवरण सदस्यों के नाम	आयु	लिंग (कोड) (पु-1, महि-2, अन्य-3)	मुखिया से सम्बन्ध	मासिक आय	फोटो
1.		[]		[] [] [] [] []	
2.		[]		[] [] [] [] []	
3.		[]		[] [] [] [] []	
4.		[]		[] [] [] [] []	
5.		[]		[] [] [] [] []	
6.		[]		[] [] [] [] []	
7.		[]		[] [] [] [] []	
8.		[]		[] [] [] [] []	
9.		[]		[] [] [] [] []	
10.		[]		[] [] [] [] []	

स्थापककर्ता के हस्ताक्षर (मोहर)

यदि प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ (जिसे आप अपने आवेदन कर जिनके प्रमाण पत्र संलग्न करें)

- अ (1) मजदूर/दलाल
- अ (2) किरायेदार
- अ (3) पूर्व निवास स्थान से समर्पण पत्र लाने वाले
- अ (4) पूर्व निवास स्थान का राशन कार्ड रखने वाले
- अ (5) सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालयों में तैनात कर्मचारी
- अ (6) पंजीकृत औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्ति
- अ (7) शहर में रहने वाले छात्र
- आवक्य विवरण होने पर प्रमाण पत्र मुहय-रजिस्टर की रखा।
 किरायेदार की पक्की रखा/बिजली/टेलीफोन का बिल समर्पण प्रमाण पत्र पूर्व निवास का राशन कार्ड निवास एवं परिवार के सदस्य संख्या के सम्बन्ध में कार्यालयाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (हस्ताक्षर एवं मोहर सहित) निवास एवं परिवार की यूनिट संख्या के सम्बन्ध में लेबर आफिसर/मैनेजर/मालिक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य/प्राक्टर/डीन विद्यार्थी कल्याण द्वारा जारी निवास (स्थायी/स्थानीय) तथा शिक्षा ग्रहण सम्बन्धी प्रमाण पत्र

ट :- उपरोक्त अ श्रेणी के अभ्यर्थियों जिनके द्वारा उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्रों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो, उक्त द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों से संतुष्ट हो कर राशन कार्ड तत्काल निर्गत किया जा सकेगा। ऐसी दशा में स्थलीय जाँच राशन कार्ड निर्गत किये जाने के 01 माह के भीतर अपेक्षा की जायेगी।

आवेदन एवं अनुदेश:-

आवेदक जिसके पास बिजली, गैस है उपरोक्त क्रम संख्या-1 पर बजाये गये कोष्ठक में 0 भरे जिनके पास बिजली कनेक्शन है कोष्ठक में 1 भरे। ऐसी जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है उपरोक्त क्रम संख्या-2 के सम्बन्ध में बजाये गये कोष्ठक में 0 भरे। बिजली कोष्ठक में बिजली (ए.जी.सी./डी.जी.सी.) कनेक्शन है या कार्ड में 1 भरे। जिनके पास डबल (डी.जी.सी.) कनेक्शन है वे कोष्ठक में 2 भरे।

क्रम संख्या-4 पर परिवार के विवरण के सम्बन्ध में दिये गये कोष्ठक पर पुरुष के लिए 1, महिला के लिए 2 तथा अन्य के लिये 3 भरे।

आवेदन पत्र में विवरण गलत पाये जाने पर शासनादेश के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(क) में.....अशपथ घोषित करता/करती हूँ कि सभी सूचनायें सत्य हैं तथा कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है
मैं/मैंने तथा मेरे परिवार के सभी सदस्यों का भोजन एक रसोई में बनता है तथा मेरे परिवार के किसी सदस्य का राशन कार्ड
प्रवाहित नहीं है और मैं ही किसी राशन कार्ड में कहीं सम्मिलित हूँ।

उक्त में/अपने श्रेणी के होने के प्रमाण स्वरूप संगत प्रमाण पत्र संलग्न
रखा गया है।

उक्त में/परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर/निशाना अंग

कार्यालय प्रयोग के लिये

आवेदन-पत्र जोचकर्ता/कार्ड जारी
कर्ता लिपिक के हस्ताक्षर
मोहर सहित

8. राशन कार्ड का विवरण
शॉप रजि० क्रमांक
मुद्रित कार्ड सं०
यूनिट संख्या
जारी करने की तिथि

9. दुकानदार का नाम/पता
.....
दुकान संख्या [] [] [] [] [] 10. हस्ताक्षर.....
जिसे कार्ड सम्बद्ध किया गया राशन कार्ड प्राप्त

निरीक्षक के जांच का प्रतिफल

(क) आवेदन पत्र में दिया विवरण
सही/सही नहीं है।

(ख) परिवार के सदस्यों की संख्या
बालिग
नाबालिग
श्रमिक

(ग) य० कार्ड जारी किया जाय
या न किया जाय

(घ) निरीक्षण के हस्ताक्षर
(मोहर सहित)

प्रतिष्ठान प्रभार

आवेदन पत्र सही/सही नहीं है। दिनांक प्राप्ति हुआ व्यक्ति राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए
दिनांकका कार्रवाई पर रविवर संपर्क करें।

हस्ताक्षर लिपिक/मोहर